

of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.	
<b>Note-2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation to the above post is 58 years as on the closing date of receipt of application.	

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)
Not applicable

[F.No. K-16012/17/2019-Exp. Ins.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

### आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

**सा.का.नि. 19.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय में उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'क' पदों तथा औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय [उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी), सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध), समूह 'क' पद और औषध निरीक्षक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
<b>1.उप औषध नियंत्रक (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी)</b>	1 (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा गैर-अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	बीएएमएस/बीएसएमएस/बीयू एमएस/बीएचएमएस योग्यता वाले अधिकारियों के लिए वेतन मैट्रिक्स (78,800 रु. - 2,09,200 रु.) में स्तर-12 + एनपीए	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति से (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/प्रोन्नति से।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
<b>संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/प्रोन्नति)</b> केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी जो- (क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक ;अथवा (ii) स्तर-11 (67,700 रुपए - 2,08,700 रुपए) के वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पर की गई पांच वर्षों की सेवा अथवा मूल संवर्ग/विभाग में सदृश सेवा। और (ख) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त आयुर्वेद/सिद्ध/ यूनानी /होम्योपैथी में	लागू नहीं होता	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p>डिग्री अथवा आयुर्वेद/सिद्ध /यूनानी/होम्योपैथी की फार्मैसी में डिग्रीधारक।</p> <p>(ग) आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथी औषधों के विनिर्माण/परीक्षण/विनियमन में 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> वेतन मैट्रिक्स (67,700 रुपए – 2,08,700 रुपए) के स्तर-11 में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखने वाले आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथी के विभागीय सहायक औषध नियंत्रक पर भी बाह्य अभ्यर्थी के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद हेतु नियुक्ति के लिए चयन होता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) साधारण रूप से चार वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
2. सहायक औषध नियंत्रक (आयुर्वेद)	01(2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रु.- 2,08,700 रु.) <b>टिप्पणी:</b> बीएएमएस अर्हता धारकों को एनपीए सहित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष <b>टिप्पण:-</b> प्रोन्नति पाने वालों के लिए	अल्पकालिक संविदा/प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति

11	12	13
<p><b>संयुक्त विधि: -</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/प्रोन्नति:</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन के अंतर्गत:</p> <p>(क) (i) मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर</p>	<p>डीआर की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(i) सचिव (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (स्थापना) (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>समरूप पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-10 (56,100 रु. - 1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा बाद; अथवा</p> <p>(iii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-8 (47,600 रु. -1,51,100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में सात वर्ष की सेवा बाद; और</p> <p>(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आयुर्वेद में बैचलर डिग्री और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और आयुर्वेद औषधों के विनिर्माण/परीक्षण/ विनियमन के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिकारी।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्तर 8 के वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में विभागीय औषध निरीक्षक (आयुर्वेद) जिसके पास प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, को भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा और यदि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केंद्रीय सरकार के इसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व कॉडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>होम्योपैथी मंत्रालय- सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार अथवा संयुक्त सलाहकार (संबंधित पद्धति), (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय)- सदस्य</p>	
--	--	--

1	2	3	4	5	6
3.सहायक औषध नियंत्रक (होम्योपैथी)	01(2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रु.- 2,08,700 रु.)  टिप्पण:बीएचएमएस अर्हता धारकों को एनपीए सहित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष <b>टिप्पणी:-</b> प्रोन्नति पाने वालों के लिए	अल्पकालिक संविदा/प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति

11	12	13
<p><b>संयुक्त विधि: -</b></p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/प्रोन्नति:</b></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन के अंतर्गत:</p> <p>(क) (i) मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-10 (56,100 रु. - 1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा बाद; अथवा</p> <p>(iii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-8 (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में सात वर्ष की सेवा बाद; और</p> <p>(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से होम्योपैथी में बैचलर डिग्री और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 48) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और होम्योपैथी औषधों के विनिर्माण/ परीक्षण/विनियमन के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिकारी।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्तर 8 के वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में विभागीय औषध निरीक्षक (होम्योपैथी) जिसके पास प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, को भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा और यदि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केंद्रीय सरकार के इसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व कॉडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>डीआर की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</b></p> <p>(i) सचिव (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (स्थापना) (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार अथवा संयुक्त सलाहकार (संबंधित पद्धति), (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

1	2	3	4	5	6
4. सहायक औषध नियंत्रक (यूनानी)	01(2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रु. - 2,08,700 रु.) <b>टिप्पण:</b> वीयूएमएस अर्हताधारकों को एनपीए सहित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष <b>टिप्पण:-</b> प्रोन्नति पाने वालों के लिए	अल्पकालिक संविदा/प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति
11		12	13
<p><b>संयुक्त विधि: -</b></p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/प्रोन्नति:</b></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन के अंतर्गत:</p> <p>(क) (i) मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-10 (56,100 रु. - 1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा बाद; अथवा</p> <p>(iii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-8 (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में सात वर्ष की सेवा बाद; और</p> <p>(ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यूनानी में बैचलर डिग्री और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और यूनानी औषधों के विनिर्माण/परीक्षण/ विनियमन के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिकारी।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्तर 8 के वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में विभागीय औषध निरीक्षक (यूनानी) जिसके पास प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, को भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा और यदि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p>		<p>डीआर की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(i) सचिव (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (स्थापना) (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार अथवा संयुक्त सलाहकार (संबंधित पद्धति), (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p><b>टिप्पण 2:</b> केंद्रीय सरकार के इसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व कॉडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
5. सहायक औषध नियंत्रक (सिद्ध)	01(2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रु.-2,08,700 रु.)  टिप्पण: वीएसएमएस अर्हताधारकों को एनपीए सहित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पणी:- प्रोन्नति पाने वालों के लिए	अल्पकालिक संविदा/प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति

11	12	13
<p><b>संयुक्त विधि: -</b> प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/प्रोन्नति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन के अंतर्गत: (क) (i) मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-10 (56,100 रु. - 1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा बाद; अथवा (iii) मूल कॉडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-8 (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में सात वर्ष की सेवा बाद; और (ख) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिद्ध में</p>	<p>डीआर की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <p>(i) सचिव (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (स्थापना) (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय)- सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार अथवा संयुक्त सलाहकार (संबंधित पद्धति), (आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय) - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>बैचलर डिग्री और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और सिद्ध औषधों के विनिर्माण/परीक्षण/ विनियमन के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिकारी।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्तर 8 के वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) में विभागीय औषध निरीक्षक (सिद्ध) जिसके पास प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, को भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा और यदि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केंद्रीय सरकार के इसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व कॉडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) समान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
6. औषध निरीक्षक (आयुर्वेद)	01 (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. -1,51,100 रु.) का स्तर-8 <b>टिप्पण:</b> +बीएएमएस अर्हताधारकों के लिए एनपीए	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>6(क) महत्वपूर्ण विवरण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की आयु-सीमा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, से आयुर्वेद में बैचलर डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय:</b> आयुर्वेद की फार्मसी में स्नातकोत्तर अर्हता।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती</p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के निम्नलिखित अधिकारियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है, के आधार पर स्थानांतरण से भरी जा सकेंगी।</p> <p>क.(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; या</p>



			<p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900 रु. - 142400 रु.) के स्तर-7 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>ख. जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
--	--	--	---

11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त सचिव(आयुष), - अध्यक्ष</li> <li>संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार, आयुष मंत्रालय - सदस्य</li> <li>उप औषध नियंत्रक साधारण (I) - सदस्य</li> </ol>	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
7. औषध निरीक्षक (होम्योपैथी)	01 (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. -1,51,100 रु.) का स्तर-8 <b>टिप्पण:</b> + वीएचएमएस अर्हताधारकों के लिए एनपीए	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>6(क) महत्वपूर्ण विवरण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की आयु-सीमा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b> होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के अधीन मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में वैचलर डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय:</b> होम्योपैथी की फार्मैसी में स्नातकोत्तर अर्हता।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती</p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के निम्नलिखित अधिकारियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है, के आधार पर स्थानांतरण से भरी जा सकेगी।</p>

			<p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900 रु -142400 रु.) के स्तर-7 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता है। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
--	--	--	---

11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) संयुक्त सचिव (आयुष), - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार, आयुष मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) उप औषध नियंत्रक साधारण (I) - सदस्य</p>	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
8. औषध निरीक्षक (यूनानी)	01 (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. - 1,51,100 रु.) का स्तर-8 टिप्पण: + बीयूएमएस अर्हताधारकों के लिए एनपीए	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>6(क) महत्वपूर्ण विवरण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की आयु-सीमा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, से यूनानी में बैचलर डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय:</b> यूनानी की फार्मेसी में</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के निम्नलिखित अधिकारियों में से नियुक्ति

स्नातकोत्तर अर्हता।			<p>प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है, के आधार पर स्थानांतरण से भरी जा सकेंगी।</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900 रु. -142400 रु. ) के स्तर-7 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(क) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
---------------------	--	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i)संयुक्त सचिव(आयुष), - अध्यक्ष</p> <p>(ii)संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार, आयुष मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii)उप औषध नियंत्रक साधारण (I) - सदस्य</p>	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
9.औषध निरीक्षक (सिद्ध)	01 (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स (47,600 रु. -1,51,100 रु. ) का स्तर-8 <b>टिप्पण:</b> + वीएसएमएस अर्हताधारकों के लिए एनपीए	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>6(क) महत्वपूर्ण विवरण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की आयु-सीमा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान और जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम,	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक

<p>1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, से सिद्ध में बैचलर डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सिद्ध की फार्मसी में स्नातकोत्तर अर्हता।</p>		<p>अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के निम्नलिखित अधिकारियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है, के आधार पर स्थानांतरण से भरी जा सकेंगी।</p> <p>1.(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900 रू -142400 रू. ) के स्तर-7 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>2.जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
---	--	--

11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) संयुक्त सचिव(आयुष), - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार आयुष मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(iii) उप औषध नियंत्रक साधारण (I) -सदस्य</p>	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11013/05/2015- ई.1 ( खंड.1)]

प्रदीप कुमार शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY**

New Delhi, the 18th February, 2021

**G.S.R. 19.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Drug Controller (Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy), Assistant Drug Controller (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'A' posts and Drug Inspector (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'B' posts in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, namely:

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy [Deputy Drug Controller (Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy), Assistant Drug Controller (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'A' posts and Drug Inspector (Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha) Group 'B' posts], Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>1. Deputy Drug Controller (Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy)</b>	1 (2020)* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level-12 in the Pay Matrix (Rs 78, 800 - Rs 2,09, 200) plus NPA for BAMS/BSMS/ BUMS/BHMS qualification holders.	Selection Post	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite Method (Deputation (ISTC)/ Promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Composite Method (Deputation(ISTC)/ Promotion)</b></p> <p>Officers under the Central Government/ State Government/ Union Territories/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department <b>or</b></p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-11 (Rs. 67,700 - Rs. 2,08,700) of Pay Matrix <b>or</b> equivalent in the parent cadre/department.</p> <p>AND</p> <p>(b) Possessing a degree in Ayurveda/Siddha/Unani/Homoeopathy <b>or</b> degree in Pharmacy of (Ayurveda/Siddha/Unani/Homoeopathy) conferred by a University recognized by the Central or State Government for this purpose.</p> <p>(c) Ten year professional experience in manufacturing/testing/regulation of Ayurveda/Siddha/Unani/ Homoeopathy drugs.</p> <p><b>Note-1:</b> The departmental Assistant Drug Controller of Ayurveda/Siddha/Unani/Homoeopathy in Level- 11 of Pay Matrix (Rs. 67,700- Rs. 2,08,700) with five years of regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note-2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	Not applicable.	Consultation with U.P.S.C. is necessary for filling up the post.

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Drug Controller (Ayurveda)	01(2020)* subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level-11 (Rs. 67,700 –Rs. 2,08,700) in the Pay Matrix Remark: plus NPA for BAMS qualification holders.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years. Remarks:- For promotees.	Deputation including Short Term Contact/Promotion

11	12	13
<p><b>Composite method: -</b></p> <p><b>Deputation (including Short Term Contract) / Promotion:</b></p> <p>Officers under the Central/ State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organization:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100- Rs. 1,77,500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing Bachelors Degree in Ayurveda from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and having five years experience in the field of manufacturing/testing/regulation of Ayurvedic drugs.</p> <p><b>Note 1 :</b> The departmental Drug Inspector (Ayurveda) in Level-8 of the Pay Matrix (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) with seven years of regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p><b>Confirmation of DR Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Secretary (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary (Establishment) (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p> <p>(iii) Adviser or Joint Adviser (concerned stream), (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p>	<p>Consultation with U.P.S.C. is necessary.</p>

1	2	3	4	5	6
<p><b>3. Assistant Drug Controller (Homoeopathy)</b></p>	<p>01(2020)* subject to variation</p>	<p>General Central Service Non-Ministerial</p>	<p>Level-11 (Rs 67,700 -Rs 2,08, 700) in the Pay Matrix.</p>	<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>

	dependent on workload.	Gazetted Group 'A'	Remark: plus NPA for BHMS qualification holders		
--	------------------------	--------------------	---	--	--

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Two years. Remarks: for promotees.	Deputation including Short Term Contact/Promotion.

11	12	13
<p><b>Composite method: -</b></p> <p><b>Deputation (including Short Term Contract) / Promotion:</b></p> <p>Officers under the Central/ State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organization:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100- Rs. 1,77,500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; or</p> <p>(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; and</p> <p>(b) Possessing Bachelors Degree in Homoeopathy from a recognized University or Institute and recognized under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) and having five years experience in the field of manufacturing/testing/regulation of Homoeopathic drugs.</p> <p><b>Note 1 :</b> The departmental Drug Inspector (Homoeopathy) in Level-8 of the Pay Matrix (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) with seven years of regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or</p>	<p><b>Confirmation of DR Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Secretary (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary (Establishment) (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p> <p>(iii) Adviser or Joint Adviser (concerned stream), (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p>	<p>Consultation with U.P.S.C. is necessary.</p>



other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
<b>4. Assistant Drug Controller (Unani)</b>	01(2020)* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level-11 (Rs 67,700 -Rs 2,08,700) in the Pay Matrix.  Remark: plus NPA for BUMS qualification holders.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years. Remarks: for promotees.	Deputation including Short Term Contact/Promotion.

11	12	13
<p><b>Composite method :-</b></p> <p><b>Deputation (including Short Term Contract)/ Promotion:</b></p> <p>Officers under the Central/ State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Autonomous or Statutory Organization:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100- Rs. 1,77,500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; or</p> <p>(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; and</p> <p>(b) Possessing Bachelors Degree in Unani from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and having five years experience in the field of manufacturing/testing/regulation of</p>	<p><b>Confirmation of DR Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Secretary (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary (Establishment) (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p> <p>(iii) Adviser or Joint Adviser (concerned stream), (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p>	<p>Consultation with U.P.S.C. is necessary.</p>

<p>Unani drugs.</p> <p><b>Note 1 :</b> The departmental Drug Inspector (Unani) in Level-8 of the Pay Matrix (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) with seven years of regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
<b>5. Assistant Drug Controller (Siddha)</b>	01(2020)* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	Level-11 (Rs 67,700 -Rs 2,08,700) in the Pay Matrix.  Remark: plus NPA for BSMS qualification holders.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Two years. Remarks: for promotees.	Deputation including Short Term Contact/Promotion.

11	12	13
<p><b>Composite method :-</b></p> <p><b>Deputation (including Short Term Contract) / Promotion:</b></p> <p>Officers under the Central/ State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organization:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100- Rs. 1,77,500) in the Pay</p>	<p><b>Confirmation of DR Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Secretary (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary (Establishment) (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p> <p>(iii) Adviser or Joint Adviser (concerned stream), (Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) - Member</p>	<p>Consultation with U.P.S.C. is necessary.</p>

<p>Matrix or equivalent in the parent cadre / department; or</p> <p>(iii) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8</p> <p>(Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; and</p> <p>(b) Possessing Bachelors Degree in Siddha from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and having five years experience in the field of manufacturing/testing/regulation of Siddha drugs.</p> <p><b>Note 1 :</b> The departmental Drug Inspector (Siddha) in Level-8 of the Pay Matrix (Rs. 47,600- Rs. 1,51,100) with seven years of regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
<b>6. Drug Inspector (Ayurveda).</b>	01 (2020)* subject to variation depended on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'B'.	Level-8 of Pay Matrix (Rs 47,600-Rs 1,51,100).  Remark: plus NPA for BAMS qualification holders.	Not applicable.	Not exceeding 30 years.  Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>6(a) Crucial description:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.

7	8	9	10
<b>Essential:</b> Bachelors Degree in Ayurveda from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970	Not applicable	Two years	Direct recruitment.  <b>Note:</b> Vacancy caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled

<p>(48 of 1970);</p> <p><b>Desirable:</b> Postgraduate qualification in Pharmacy of Ayurveda.</p>			<p>up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR</p> <p>(ii) With two years service and in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 of Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>
---	--	--	---

11	12	13
Not applicable	<p><b>Group B Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Joint Secretary (AYUSH) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Adviser/Deputy Adviser, Ministry of AYUSH - Member</p> <p>(iii) Deputy Drug Controller General (I) - Member</p>	Consultation with UPSC is necessary for filling up of the post.

1	2	3	4	5	6
<p><b>7. Drug Inspector (Homoeopathy)</b></p>	01 (2020)* subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'B'	<p>Level-8 of Pay Matrix (Rs 47,600-Rs 1,51,100)</p> <p>Remark: plus NPA for BHMS qualification holders</p>	Not applicable	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>6(a) Crucial description:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.</p>

7	8	9	10
<p><b>Essential:</b> Bachelors Degree in Homoeopathy recognized under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).</p> <p><b>Desirable:</b> Postgraduate</p>	Not applicable.	Two years.	<p>Direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancy caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by</p>

qualification in Pharmacy of Homoeopathy.			<p>the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR</p> <p>(ii) With two years service and in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 of Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>
---	--	--	---

11	12	13
Not applicable	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Joint Secretary (AYUSH) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Adviser/Deputy Adviser, Ministry of AYUSH - Member</p> <p>(iii) Deputy Drug Controller General (I) - Member</p>	Consultation with UPSC is necessary for filling up of the post.

1	2	3	4	5	6
<b>8. Drug Inspector (Unani).</b>	01 (2020)* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'B'.	Level-8 of Pay Matrix (Rs 47,600-Rs 1,51,100) Remark: plus NPA for BUMS qualification holders.	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>6(a) Crucial description:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.</p>

7	8	9	10
<p><b>Essential:</b> Bachelors Degree in Unani from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);</p> <p><b>Desirable:</b> Postgraduate qualification in Pharmacy of Unani.</p>	Not applicable	Two years	<p>Direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancy caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/ Recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings/ Autonomous or Statutory Organizations.</p> <p>(b) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR</p> <p>(ii) With two years service and in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 of Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

11	12	13
Not applicable	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Joint Secretary (AYUSH) - Chairman</p> <p>(ii) Joint Adviser/Deputy Adviser, Ministry of AYUSH- Member</p> <p>(iii) Deputy Drug Controller General (I) - Member</p>	Consultation with UPSC is necessary for filling up of the post.

1	2	3	4	5	6
<b>9. Drug Inspector (Siddha).</b>	01 (2020)* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial	Level-8 of Pay Matrix (Rs 47,600-Rs 1,51,100)	Not applicable	Not exceeding 30 years. Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by

		Gazetted Group 'B'.	Remark: plus NPA for BSMS qualification holders.		the Central Government. <b>6(a) Crucial description:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.
--	--	---------------------	--	--	--

7	8	9	10
<p><b>Essential:</b> Bachelors Degree in Siddha from a recognized University or Institute and recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);</p> <p><b>Desirable:</b> Postgraduate qualification in Pharmacy of Siddha.</p>	Not applicable	Two years	<p>Direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancy caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory Organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR</p> <p>(ii) With two years service and in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 of Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

11	12	13
Not applicable	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation :-</b></p> <p>(i) Joint Secretary (AYUSH)- Chairman</p> <p>(ii) Joint Adviser/Deputy Adviser, Ministry of AYUSH- Member</p> <p>(iii) Deputy Drug Controller General (I)- Member</p>	Consultation with UPSC is necessary for filling up of the post.

[F.No. A.11013/05/2015-E.I(Vol.I)]

PRADEEP KUMAR SHARMA, Under Secy.